# जनपद हमीरपुर

**थाना चिकासी** **दिनांक -21.05.2026**

**थाना चिकासी पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं पुलिसकर्मी से अभद्रता करने वाले मु0अ0सं0-51/26 धारा-121(2)/132/115(2)/352/351(3)/324(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में-**

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.05.2026 को समय करीब 13:30 बजे वादी मुख्य आरक्षी दारा सिंह थाना चिकासी, जनपद हमीरपुर अपने साथी कर्मचारी रि0 आरक्षी अजय कुमार के साथ ग्राम बंधौली थाना चिकासी क्षेत्र में नोटिस तामीला एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान राकेश पुत्र विजय निवासी ग्राम छोटी बंधौली थाना चिकासी जनपद हमीरपुर द्वारा मुख्य आरक्षी के साथ अनायास गाली-गलौज शुरू कर दी गई। पुलिसकर्मियों द्वारा समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, किन्तु आरोपी और अधिक उग्र हो गया तथा मारपीट पर आमदा होकर अभद्रता करने लगा। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।

वादी मुख्य आरक्षी दारा सिंह से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चिकासी पर मु0अ0सं0- 51/2026 धारा 121(2)/132/115(2)/352/351(3)/324(2) बीएनएस बनाम राकेश पुत्र विजय निवासी ग्राम छोटी बंधौली थाना चिकासी जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

## पुलिस कार्यवाही

आज दिनांक 21.05.2026 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/2026 धारा 121(2)/132/115(2)/352/351(3)/324(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त राकेश पुत्र विजय निवासी ग्राम छोटी बंधौली थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास ग्राम बरौली खरका थाना चिकासी क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

राकेश पुत्र विजय निवासी ग्राम छोटी बंधौली थाना चिकासी हमीरपुर।

## गिरफ्तारी का स्थान

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास ग्राम बरौली खरका थाना चिकासी हमीरपुर।

## पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सूर्यभान सिंह

2.का0 छोटेलाल यादव

3.रि0का0 अजय कुमार

4.रि0का0 सुजीत कुमार यादव